

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, इलाहाबाद

बनाम

मैसर्स सोमैया ऑर्गेनिक्स (इंडिया) लिमिटेड

12 नवंबर, 2007

(डॉ अरिजीत पसायत और डी.के. जैन जेजे.)

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944- धारा 4 (1) (बी) - एथिल अल्कोहल डिनेचर्ड (एसडीएस) - निर्धारिती की अन्य विनिर्माण इकाई द्वारा निर्दिष्ट उत्पादों के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है - उत्पाद शुल्क - मूल्यांकन नियमों के नियम 6 (बी) (आई) के संदर्भ में लागत के आधार पर भुगतान, निर्धारिती द्वारा - 6 (बी) (आई) के आधार पर उस उच्चतम कीमत पर राजस्व की मांग, जिस पर एसडीएस एक विशेष तिथि पर अन्य निर्माताओं द्वारा बेचा गया था - सीईजीएटी ने लेवी को अलग रखा यह मानते हुए कि उच्चतम मूल्य को अपनाना सही नहीं है - अपील पर, माना गया: सीईजीएटी को उचित मूल्य निर्धारित करने की आवश्यकता थी - चूंकि यह निर्धारित नहीं किया गया था, इसलिए मामले को नए सिरे से विचार के लिए भेजा गया - केंद्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन नियम, 1975 नियम 6 (बी) (i) और (ii)।

प्रतिवादी-निर्धारिती के पास दो विनिर्माण इकाइयाँ थीं। एक डिस्टिलरी थी जहां वे एथिल अल्कोहल-डिनेचर्ड (एसडीएस) का निर्माण करते थे। एसडीएस का स्टॉक उनकी अन्य इकाई यानी निर्दिष्ट रसायनों के निर्माण के लिए एक रासायनिक कारखाने में स्थानांतरित कर दिया गया था। वे एसडीएस के स्टॉक को अपनी दूसरी इकाई में स्थानांतरित करते समय उत्पाद शुल्क का भुगतान कर रहे थे और भुगतान किए गए शुल्क का एमओडीवीएटी क्रेडिट अन्य इकाई (रासायनिक कारखाने) में लिया गया था।

निर्धारिती द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4 (1) (बी) के प्रयोजन के लिए मूल्य निर्धारित किया गया, केंद्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन नियम, 1975 के नियम 6 (बी) (ii) के संदर्भ में प्रासंगिक अवधि में लागत के आधार पर निकाला गया था। निर्धारिती को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मूल्यांकन योग्य मूल्य नियम 6 (बी) (i) के अनुसार तय किया जाना था, न कि 6 (बी) (ii) के तहत और यह प्रस्तावित किया गया था कि मूल्यांकन योग्य मूल्य उस उच्चतम कीमत के आधार पर तय किया जाए जिस पर एसडीएस अन्य निर्माताओं द्वारा विशेष तिथियों पर बेचा गया था। अन्तर शुल्क की मांग की गई। केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त ने मांग की पुष्टि की। करदाता की अपील को सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईजीएटी) ने यह कहते हुए अनुमति दी थी कि विभाग द्वारा उच्चतम कीमत अपनाना कानून की दृष्टि से असमर्थनीय था। इसलिए वर्तमान अपील दायर की गयी।

न्यायालय ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए मामले को पुनः सुनवाई के लिए भेजा और अभिनिर्धारित किया:

ऐसा प्रतीत होता है कि सीईजीएटी ने एक दिन यह रुख अपनाया है ऊंची कीमत लागू नहीं की जा सकती, भले ही नियम 6(बी)(i) लागू हो। सीईजीएटी इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि कोई सिद्धांत तैयार नहीं किया गया है और स्पष्ट रूप से कोई कारण नहीं दिया गया है। इस बात पर जोर दिया गया कि लगभग सुनिश्चित करने योग्य सुनिश्चित करने योग्य के समतुल्य है क्योंकि अभिव्यक्ति 'सुनिश्चित करने योग्य'का अर्थ सुनिश्चित है। अलग-अलग अवधि के लिए अलग-अलग दरें हो सकती हैं। ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां अवधियों के लिए उच्चतम और औसत कीमतें भी ली जा सकती हैं। सीईजीएटी ने यह निर्धारित नहीं किया है कि उचित कीमत क्या होगी। केवल आकलन प्राधिकारी

द्वारा निर्धारित कीमत को खारिज करने से समस्या का समाधान नहीं होता है। यह देखने की आवश्यकता थी कि क्या कोई कीमत निश्चित की जा सकती थी और इसे किस आधार पर सुनिश्चित किया जा सकता था। किसी अवधि के लिए उच्चतम या औसत लिया जा सकता है। यह मूल्यांकन अधिकारी के न्यायिक विवेक के आधार पर किया जाना चाहिए, जिसे अपीलीय प्राधिकारी द्वारा यह पता लगाकर भी तय किया जा सकता है कि किए गए निर्धारण में कोई औचित्य है या नहीं। इस मामले को देखते हुए, सीईजीएटी का दृष्टिकोण कानूनी रूप से मान्य नहीं है। [पैरा 9 और 10] [1073-एफ, जी; 1074-ए, सी, डी, ई]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 4975/2002।

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में अपील संख्या ई/467/2001-ए में पारित अंतिम आदेश संख्या 71/2002-ए दिनांक 20.2.2002 से।

नागेंद्र राय, अरुणा गुप्ता और बी.के. प्रसाद अपीलार्थी की ओर से।

वी. लक्ष्मी कुमारन, ए.आर. माधव राव, तरुण जैन, मोनिश पांडा और राजेश कुमार प्रतिवादी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पसायत, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. इस अपील में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सोना (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली (संक्षेप में 'सीईजीएटी') के फैसले को चुनौती दी गयी है जिसके द्वारा उत्तरदाताओं (इसके बाद इसे 'निर्धारिती' कहा जाएगा) द्वारा दायर अपील की अनुमति दी गयी थी। सीईजीएटी में आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश को चुनौती गई थी।

2. संक्षेप में तथ्यात्मक पृष्ठभूमि इस प्रकार है:

उत्तरदाताओं की दो विनिर्माण इकाइयाँ हैं- कैप्टनगंज में एक डिस्टिलरी और बाराबंकी में एक रासायनिक फैक्ट्री। अपनी डिस्टिलरी में उत्तरदाता एथिल अल्कोहल-डिनेचर्ड (संक्षिप्त 'एसडीएस'के लिए) का निर्माण करते हैं। एसडीएस का स्टॉक उनकी बाराबंकी इकाई में स्थानांतरित कर दिया जाता है जहां इसका पूरा उपयोग निर्दिष्ट रसायनों के निर्माण में किया जाता है। निर्णायक प्राधिकारी के आदेश के तहत अप्रैल 1994 से दिसंबर 1999 की अवधि के दौरान कप्तानगंज इकाई से बाराबंकी इकाई को हस्तांतरित एसडीएस की पूरी मात्रा पर 14, 89, 61, 104.00 की अन्तर राशि की पुष्टि की गई। उपरोक्त से व्यथित होकर, निर्धारिती द्वारा सीईजीएटी के समक्ष अपील दायर की। विभिन्न अवधियों के लिए कारण बताओ नोटिस निम्नानुसार जारी किए गए:

क्र.सं.	कारण बताओ नोटिस क्रमांक	दिनांक अवधि	अन्तर शुल्क
1	सी.नं.वी.आई.(एमपी) मांग(12)एडीजे-116/98/3149 दिनांक 26.3.99 -एससीएननंबर 12/कॉमनर.-एयूडी- 99/26.3.99	अप्रैल, 94 से फरवरी	रु. 14,59,49,158.65
2	सी .नंबर 20 सीई/सोमैया /एसबीजेड/99/550 दिनांक 31.8.99	मार्च 99 से जुलाई 99	रु.25,12,528/-
3	C.No.20-	अगस्त, 99 से	रु.4,99,417/-

CE/सोमैया/SBZ/61 दिनांक. 18.1.2000	दिसंबर, 99	
---------------------------------------	------------	--

3. औद्योगिक उपभोग के लिए एसडीएस पर दिनांक 1.03.94 से उत्पाद शुल्क लगाया गया था। उत्तरदाता एसडीएस के स्टॉक को अपनी बाराबंकी इकाई में स्थानांतरित करते समय उत्पाद शुल्क का भुगतान कर रहे थे और भुगतान किए गए शुल्क का मॉडवैट क्रेडिट बाराबंकी इकाई में लिया गया था। उत्तरदाताओं द्वारा प्रासंगिक अवधि के दौरान केंद्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन नियम, 1975 (संक्षेप में 'मूल्यांकन नियम') के नियम 6 (बी) (ii) के संदर्भ में लागत के आधार पर मूल्यांकन योग्य मूल्य निकाला गया था। कारण बताओ नोटिस में, यह आरोप लगाया गया था कि मूल्यांकन योग्य मूल्य नियम 6(बी)(i) के संदर्भ में तय किया जाना है, न कि नियम 6(बी)(ii) के तहत। इसके बाद निम्नलिखित निर्माताओं द्वारा अलग-अलग वर्षों के लिए उस मूल्य के आधार पर मूल्यांकन योग्य मूल्य तय करने का प्रस्ताव किया गया जिस पर एसडीएस बेचा गया था: -

अवधि	अन्य निर्माता मेसर्स	लागू तिथि प्रति लीटर/बीआई.	कीमत
1994-95	सरैया डिस्टिलरी गोरखपुर	13.6.1994	20.00 रु
1995-96	- " -	20.6.1995	12.90 रु
1996-97	- " -	10.3.1997	14.00 रु

1997-98	- " -	20.11.1997	14.75 रू
4/98 से 2/99	किसान सहकारी चीनी मिल्स, घोसी	1.12.1998	15.50 रू
3/98 से 7/99	- " -	20.3.1999	14.25 रू
8/98 से 12/99	- " -	10/99	14.25 रू

4. इसके बाद, दिनांक 14.1.2000 के शुद्धिपत्र द्वारा 14.25 रुपये पर निर्धारित बिक्री मूल्य को 15 रुपए कर सही किया गया। इस आधार पर, उपरोक्तानुसार अंतर शुल्क की मांग की गई थी। उत्तरदाताओं ने निर्णायक प्राधिकारी के समक्ष तर्क दिया कि इसकी डिस्टिलरी में निर्मित एसडीएस की पूरी मात्रा निर्दिष्ट वस्तुओं के निर्माण के लिए बाराबंकी इकाई में खपत की जा रही है। गुड, जो एसडीएस के निर्माण के लिए प्रमुख कच्चा माल है, उत्तरदाताओं द्वारा यूपी गुड नियंत्रण आदेश, 1964 के प्रावधान के अनुसार नियंत्रित दर पर प्राप्त किया गया था। लेकिन गैर-निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए एथिल अल्कोहल का निर्माण करने वाली अन्य भट्टियों को बाजार निर्धारित कीमतों पर गुड खरीदना पड़ता था। इसलिए, उत्तरदाताओं द्वारा और मैसर्स सुरैया डिस्टिलरी द्वारा, जो उन उत्पादकों में से एक था जिनके बिक्री मूल्य पर कारण बताओ नोटिस में निर्भर किया गया था, के बीच एसडीएस के उत्पादन की लागत की कोई तुलना नहीं हो सकती है। सरैया डिस्टिलरी, उन निर्माताओं में से एक है जिसके विक्रय मूल्य पर कारण बताओ नोटिस में भरोसा किया गया था। उत्तरदाताओं ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 4(1)(बी) के प्रयोजन के लिए लागत के आधार पर इस प्रकार एसडीएस का मूल्यांकन योग्य मूल्य निर्धारित किया

जैसे एसडीएस की कोई बिक्री नहीं थी। मूल्य निर्धारण और शुल्क निर्वहन के लिए पिछले वर्ष की बैलेंस शीट के आधार पर वार्षिक रूप से लागत निर्धारण किया जाता था क्योंकि 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बैलेंस शीट को सितंबर के महीने में ही अंतिम रूप दिया जाता है। सितंबर में अंतिम बैलेंस शीट प्राप्त होने पर, पहले की बैलेंस शीट के आधार पर निर्धारित मूल्य को संशोधित किया जा रहा था। यदि संशोधन ऊपर की ओर था, तो बढ़े हुए मूल्य पर अंतर शुल्क का निर्वहन किया गया था। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों द्वारा प्रश्नावली के साथ 1.3.1994 से प्रभावी मूल्य घोषणाएं अनुमोदित की गईं। 1.4.1994 से जब केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 173 सी (संक्षेप में 'नियम') के संशोधन को प्रभावी किया गया तो उत्तरदाताओं ने नियम 173 सी के तहत भी घोषणाएं दायर कीं।

5. प्रश्नगत अवधि के दौरान उत्तरदाताओं ने जिस वास्तविक मूल्य पर एसडीएस क्लीयर किया वह इस प्रकार है:

1994-95	5.85 रुपये प्रति लीटर.
1995-96	5.50 रुपये प्रति लीटर.
1996-97	5.50 रुपये प्रति लीटर.
4/97 से 11/97 तक	8.30 रुपये प्रति लीटर.
12/97 से 11/97 तक	12.41 रुपये प्रति लीटर.
4/98 से 3/99	13.52 रुपये प्रति लीटर.
4/99 से 7/99 तक	17.43 रुपये प्रति लीटर.
8/99 से 12/99 तक	17.43 रुपये प्रति लीटर.

6. उत्तरदाताओं ने आगे तर्क दिया कि कारण बताओ नोटिस में उस उच्चतम कीमत के आधार पर मूल्यांकन योग्य मूल्य तय करने का प्रस्ताव, जिस पर किसी निर्माता ने विशेष तिथि पर एसडीएस बेचा था, पूरी तरह से अवैध है। आगे यह तर्क दिया गया कि अप्रैल 1999 से दिसंबर 1999 की अवधि के लिए उत्तरदाताओं ने कारण बताओ नोटिस में प्रस्तावित मूल्य से अधिक मूल्यांकन योग्य मूल्य पर भुगतान किया था। इसलिए इस अवधि के दौरान अलग-अलग शुल्क की मांग करने का कोई आधार नहीं है। निर्णय लेने वाले प्राधिकारी ने उत्तरदाताओं द्वारा उठाए गए तर्कों को स्वीकार नहीं किया। इसलिए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त ने रुपये की अंतर शुल्क 14,89,61,104/- मांग की पुष्टि की और धारा 11 एसी के तहत शुल्क मांग के बराबर जुर्माना राशि लगाई गई

7. प्रतिद्वंद्वी द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए सीईजीएटी का मत इस प्रकार रहा है:

"राजस्व द्वारा ऐसा कोई कारण नहीं दिया गया है कि किस आधार पर अपीलकर्ता द्वारा क्लियर किए गए एसडीएस के मामले में मूल्यांकन योग्य मूल्य तय करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष में विशेष दिन की उच्चतम कीमत पर विचार किया गया था। किसी विशेष दिन की उच्चतम कीमत का चुनाव निकटतम सुनिश्चित समकक्ष की आवश्यकता को पूरा नहीं करेगी। धारा 4(1)(बी) में प्रावधान है कि "जहां ऐसे सामान की सामान्य कीमत इस कारण से सुनिश्चित नहीं की जा सकती है, कि ऐसा सामान बेचा नहीं जाता है या किसी अन्य कारण से, उसके निकटतम सुनिश्चित समकक्ष को इस तरह से निर्धारित किया जा सकता है जैसा कि निर्धारित किया गया है।"

"इसलिए, जब नियम 6 के उप-नियम (बी) का खंड (i) लागू किया जाता है, तब भी निकटतम सुनिश्चित समकक्ष को निर्धारित करने का प्रयास होना चाहिए। हमें यह मानने में कोई झिझक नहीं है कि हस्तगत मामले में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। विभाग द्वारा उच्चतम कीमत अपना कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है।"

8. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जहां राजस्व, मूल्यांकन नियमों के नियम 6(बी)(i) पर निर्भर करता है, वहीं निर्धारित नियम 6(बी)(ii) पर निर्भर करता है। अधिनियम की धारा 4(1)(ए) तब लागू होती है जब खरीदार संबंधित व्यक्ति नहीं होता है। धारा 4(1)(बी)) ऐसे मामले से संबंधित है जहां कीमत सुनिश्चित नहीं की जा सकती।

9. अपीलकर्ता का कहना है कि तुलनात्मक कीमत उपलब्ध है क्योंकि कैप्टनगंज और बाराबंकी में दो इकाइयाँ थीं। निर्धारित ने यह प्रस्तुत करके अंतर करने का प्रयास किया कि उत्पाद का उपभोग सीमित रूप से किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि सीईजीएटी ने यह रुख अपनाया है कि एक दिन की ऊंची कीमत लागू नहीं की जा सकती, भले ही नियम 6(बी)(आई) लागू हो। अप्रैल 1999 से दिसंबर 1999 की अवधि के संबंध में कोई विवाद नहीं है। अप्रैल 1994 से फरवरी 1999 की अवधि को 26.3.1999 के कारण बताओ नोटिस द्वारा कवर किया गया था और मार्च 1999 की अवधि को दिनांक 31.08.1999 के कारण बताओ नोटिस द्वारा कवर किया गया था। कारण सूचना दिनांक 31.8.1999 सीईजीएटी इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि कोई सिद्धांत तैयार नहीं किया गया है और स्पष्ट रूप से कोई कारण नहीं बताया गया है। जोर लगभग सुनिश्चित करने योग्य के समतुल्य पर दिया गया कि अभिव्यक्ति 'सुनिश्चित करने योग्य'का अर्थ सुनिश्चित है। अलग-अलग अवधि के लिए अलग-अलग दरें हो

सकती हैं. ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां अवधियों के लिए उच्चतम और औसत कीमतें भी ली जा सकती हैं। नियम 6 (बी) (i) का प्रावधान प्रासंगिक है:

"निर्धारिती या किसी अन्य निर्धारिती द्वारा उत्पादित या निर्मित वस्तुओं के तुलनात्मक मूल्य पर:

बशर्ते कि इस उपखंड के तहत मूल्य निर्धारित करने में, उचित अधिकारी सभी प्रासंगिक कारकों और विशेष रूप से, मूल्यांकन किये गये और तुलनीय माल की भौतिक विशेषताओं में यदि कोई अन्तर हो, को ध्यान में रखते हुए ऐसे समायोजन करेगा जो उसे उचित लगे।"

10. ऐसा प्रतीत होता है कि सीईजीएटी ने यह निर्धारित नहीं किया है कि उचित कीमत क्या होगी। केवल आकलन प्राधिकारी द्वारा, निर्धारित कीमत को खारिज करने से समस्या का समाधान नहीं होता है। यह देखने की आवश्यकता थी कि क्या कोई निश्चित कीमत थी और इसे किस आधार पर सुनिश्चित किया जा सकता है। यहां तक कि किसी अवधि के लिए उच्चतम या औसत भी लिया जा सकता है। यह मूल्यांकनकर्ता अधिकारी के न्यायिक विवेक के आधार पर किया जाना चाहिए जिसे अपीलीय प्राधिकारी द्वारा यह पता लगाकर भी निर्णय लिया जा सकता है कि किये गये निर्धारण में कोई औचित्य है या नहीं। इस मामले को देखते हुए, सीईजीएटी का दृष्टिकोण कानूनी रूप से मान्य नहीं है। सीईजीएटी के आदेश को रद्द किया जाता है और नए सिरे से विचार करने के लिए इसे सीईएसटीएटी के पास भेज जाता है, जो सीईजीएटी के स्थान पर आया है।

11. उपरोक्त सीमा तक अपील स्वीकार की जाती है। खर्च का कोई आदेश नहीं होगा।

के.के.टी.

अपील आंशिक रूप स्वीकृत।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी राजपाल सिंह (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।